

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 23.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 28 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 15 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा दो मोटरसाइकिल आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5997 को बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत भगौसा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.सूरजपाल चौधरी पुत्र महेन्द्र 02.शशि पत्नी सूरजपाल चौधरी निवासीगण ग्राम मीरवापुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर कर दुर्घटना में घायलों को निजी वाहन की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 धनन्जय सिंह, का0 सत्यनरायन सिंह, हो0गा0चा0 शिव कुमार गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 258 वाहनों से 3,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 258 वाहनों से 3,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा गुमशुदा युवक को बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभय नाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा गुमशुदा युवक को आज दिनांक 23.04.2026 को खलीलाबाद से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 19.04.2026 को थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पर वादिनी का पुत्र रवि पुत्र स्व0 चुन्नीलाल निवासी महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर उम्र करीब 22 वर्ष के गुम होने की सूचना प्राप्त हुयी थी। सूचना मिलने पर महुली पुलिस द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया एवं तलाश किया गया। जनसहयोग से लापता युवक को आज दिनांक 23.04.2026 को बरामद कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री जयहिन्द भारती, हे0का0 श्रीकान्त यादव, का0 बब्ल यादव।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक को किया गया बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक को आज दिनांक 23.04.2026 को निखरकपार थाना कोतवाली खलीलाबाद से बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

विदित हो कि दिनांक 22.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर पर कित्तूयूरी थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर निवासी बालक उम्र करीब 11 वर्ष के गुम होने की सूचना प्राप्त हुयी थी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया एवं तलाश किया गया। जनसहयोग से लापता बालक को आज दिनांक 23.04.2026 को बरामद कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद चौकी प्रभारी तामेश्वरनाथ।

उक्त प्रकरण में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 138/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। चाय दुकान की कब्जादारी माँ व बेटी के बीच चल रहा है। स्थानीय पुलिस बल द्वारा बताया गया कि चाय की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा संबंधित बाते भ्रामक व असत्य है।